

चेक लिस्ट क्रमांक -10

### अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना “भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2” के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर जिला के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है एवं उनके विरुद्ध किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन की गयी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

चिदेशक

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान  
जगदलपुर (छत्तीसगढ़).

०४  
संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी  
(चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़

